रजिस्टर्ड ए0डी0

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 05 मार्च, 2018

क्रमांक एफ–2(अ)/10/2017/बी–4/दो :: राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2015 में आयोजित संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल–10 (रूपये 56,100–132,000/–) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :–

स0क0	लोकसेवा आयोग की चयन सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम व पता	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1	04	सुश्री प्रतिष्ठा राठौर आत्मजा स्व. श्री अमर सिंह राठौर मेला पिराणपीर रोड कपास मंडी वैष्णव कालोनी, सनावद तहसील बडवाहा, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश पिन–451111	विदिशा

2/– नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी भोपाल में प्राप्त कर, परीक्षा उत्त्तीण करना आवश्यक होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3/– उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश नगर सेना (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 से शासित होगें।

4/– नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाये जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5/– राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हे लागू किया जाये, के अध्यधीन रहेंगे।

6/– नियुक्त (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है इसकी पूर्ति कर, महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

7/– नवनियुक्त अधिकारी पूर्व से शासकीय, अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

8/– प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/3/18

(श्री दास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृ0 कमांक एफ–2(अ)/10/2017/बी–4/दो भोपाल,दिनाक 05 ~~जनवरी~~ मार्च 2018

प्रतिलिपिः–

1 महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, म.प्र.

2 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र कमांक 2988/76/2016/चयन, दिनांक 19 मई 2017 एवं पत्र कमांक 6641/76/2016/चयन दिनांक 21 जुलाई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

3 संचालक, आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल।

4 संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक – द्वारा महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

5 संबंधित संभागीय सेना, नगर सेना – द्वारा महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

6 संबंधित जिला सेनानी, नगर सेना – द्वारा महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

7 कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंगेली, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

8 विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, गृह।

9 स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।

10 निज सहायक, प्रमुख सचिव, गृह।

11 संबंधित सुश्री प्रतिष्ठा राठौर आत्मजा स्व. श्री अमर सिंह राठौरमेला पिराणपीर रोड कपास मंडी वैष्णव कालोनी, सनावद तहसील बडवाहा, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सुश्री प्रतिष्ठा राठौर को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीं।

12 आर्डर बुक/स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5.3.18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग